निगरानी / टी.ए. / 1296 / 2006 / जोधपुर
सुखदेव बनाम पानीदेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री घनश्याम सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री मुकेश दाधीच, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 15–10–2025

निर्णय

यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 189 / 2004 में पारित आदेश दिनांक 17–02–2006 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई हैं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं.1 से 3 ने घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन का सहायक कलक्टर, शेरगढ़ के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद के साथ प्रार्थी एवं भीकमचन्द, मदनलाल, भंवरलाल ने जवाब दावा के साथ काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वाद एवं काउन्टर क्लेम का परीक्षण करने के उपरान्त वाद वादी निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 04–06–2004 एवं डिक्री पारित कर दी गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अप्रार्थी सं.1 से 3 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील पेश की तथा अपील के लम्बित रहते एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं.14 कंचन कंवर द्वारा प्रस्तुत कर विवादित भूमि में से प्रेमराज, पारसमल, जवरीलाल एवं शेषमल से भूमि दिनांक 01–10–91 में क्रय कर लेने के कारण पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–02–2006 द्वारा स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थी द्वारा माननीय मण्डल के समक्ष पेश की गई है। उनका तर्क है कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लिसपेन्डेन्स में सम्पत्ति क्रय करने वाल व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है जो अधिकार भूमि में विक्रेता के माने जाते है वहीं क्रेता को प्राप्त होते है इस परिपेक्ष्य में अप्रार्थी सं.14 किसी भी प्रकार से वर्तमान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में न तो आवश्यक पक्षकार है न ही पीड़ित पक्षकार है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मात्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को आधारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का जो आदेश प्रदान किया है व उससे पूरे प्रकरण के तथ्य एवं प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता ने ऐसा कोई बिन्दु प्रकट नहीं किया कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र क्यों प्रस्तुत नहीं किया परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्थापित विधि पर अस्पष्ट तथ्यों एवं कारणों पर आधारित प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थना पत्र को वरीयता देकर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर विधिक त्रुटि कारित की है, जो निगरानी के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश दिनांक 17–02–2006 निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने निगरानीधीन आदेश दिनांक 17–02–2006 को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 17–02–2006 द्वारा अप्रार्थी सं.14 कंचन कंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए उसे बतौर रेस्पो0 पक्षकार संयोजित करने का आदेश दिया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किया जा चुका है एवं बेचानकर्ता के स्थान पर क्रेता को रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज किया जा चुका है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीददार है अतः पक्षकार सही बनाया है। हमारी सुविचारित मत में अप्रार्थी सं.14 कंचन कंवर को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने से पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वाद बाहुल्यता नहीं बढेगी एवं न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य आ सकेंगे, जिससे पक्षकारान के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मध्य समुचित न्याय निर्णयन हो सकेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी सं.14 कंचन कंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार कर उसे प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का जो आदेश पारित किया है, वह न्यायोचित है एवं उसमें ऐसी कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिससे कि निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जावे। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2006 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	